न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – टि.ए. 32 सन् 2020
पंजीयन दिनांक 30.09.2020

1. मोडा पिता केसर सिंह जाति राजपूत निवासी परवती तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़(राज0)

–अपीलांट

विरूद्व

1. भंवरसिंह पिता नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी परवती तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़(राज0)
2. नानीबाई पत्नी शांतिलाल जाति मेघवाल निवासी परवती तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़(राज0)
3. शांतिलाल पिता गंगाराम जाति मेघवाल निवासी परवती तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़(राज0)

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं आदेश न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फास्ट्रेक)बड़ीसादड़ी
प्रकरण संख्या 17/2020 निर्णय एंव आदेश दिनांक 10.09.2020

उपस्थित– 1. अनुराग ओझा–अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. चन्दनमल जणवा–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट–1 से 3
3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांक 07.01.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण सं. 1 से 3 के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा परवति तहसील बडीसादडी की आराजी संख्या 178 रकबा 7 बिस्वा किस्म आ.ता.चा. के सबंधं में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजियात अपीलांट प्रार्थी के पिता केसर सिंह जी के जमाने से चली आ रही है। केसर सिहं जी को जमीन भैरूसिंह जी से मिली थी और यह अपीलांट प्रार्थी की पैतृक जमीन है। आराजी संख्या 178 आ.ता.चा. के साथ जो कृषि भूमियां आराजी नम्बर 99, 179/1,179/2 यह सभी आराजियात विवादित आराजी नम्बर 178 से सिंचित होती है, जिसके पडौस पूर्व में बाबरू मेघवाल की जमीन, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में प्रार्थी अपीलांट की आराजियात, दक्षिण में रास्ता है। इन चारों पडौसो के बीच की भूमि पर अपीलान्ट सिंचाई कर अपनी आराजियात पर काश्त करता चला आ रहा है। अपीलांट के दादा भैरू सिंह से यह भूमि अपीलांट के पिता केसर सिंह को मिली थी,

तथा केसर सिंह से विरासत से यह कृषि भूमी प्रार्थी अपीलांट के पास चली आ रही है, और उसी अनुसार अपीलांट काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। अपीलांट प्रार्थी ने बाप–दादाओं के जमाने से उपरोक्त आराजियात की सिंचाई आराजी संख्या 178 से अपीलांट करता चला आ रहा है। और अपनी आराजियात पर खड़ी फसल की सिंचाई कर चाह नम्बर 178 से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। अपीलांट अनपढ़ व वृद्व है। उसका नाजायज फायदा उठाते हुए गलत तरीके से आराजी नम्बर 178 बिना किसी अधिकार के विपक्षीगण ने अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवा ली जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं थी। विवादित आराजियात पर आ.चा. से सिंचाई करने हेतु कुंए पर ढाणा बना हुआ है उस पर अपीलांट का नाम खुदा हुआ है व धोरे बने हुए है, जो कि आराजियात पर सिंचाई के लिए जाते है। फिर भी अपीलांट प्रार्थी को जबरन बेदखल करना चाहते है व आ.चा. को नष्ट करना चाह रहे है जिससे यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया व मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई। जिस पर विचारण न्यायालय ने प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 02.07.2020 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई। तत्पश्चात् रेस्पोडेन्टगण का जवाब रिकार्ड पर लिया जाकर दिनांक 10.09.2020 को अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने निर्णय व आदेश पारित कर दिया। जिसके विरूद्व प्रार्थी अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की।

इस न्यायालय मे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश के विरूद्व प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। व उक्त अपील को अंतिम बहस हेतु नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए यह निवेदन किया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने प्रकरण के प्रथम दृष्टया होने का विचार नही किया है। व यह भी निवेदन किया कि आराजी नम्बर 179/1 व 179/2 के सिंचाई का साधन है जो चाह नम्बर 178 लिखा हुआ है। राजस्व अभिलेखो मे इस महत्वपूर्ण इन्द्राज को नजर अंदाज कर अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया मामला नही मानते हुए निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण अप्रार्थीगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टया प्रकरण मानने के लिये यह आवश्यक है कि आता चाह से कौनसी आराजी सिंचित होती है। कही स्पष्ट नही किया है। फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने इन महत्वपूर्ण बिन्दुओ का विवेचन किये बगैर न्याय के मूलभूत सिद्धान्तो के विपरीत निर्णय व आदेश पारित किया है। जिससे अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर आराजी नम्बर 178 के सम्बन्ध मे अस्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश को विधिपूर्ण होना बताते हुए अपीलान्ट की अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजो पर भी मनन किया। नकल जमाबन्दी मौजा परवती तहसील बडीसादडी की आ.न.

179/1 व 179/2 की जमाबन्दी मे सिंचाई का साधन चाह नम्बर 178 अंकित है व खसरा गिरदावरी मे भी आ.न. 178 मोडा पिता केसर दरोगा का नाम अंकित है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की आराजी नम्बर 179/1 व 179/2 की सिंचाई के आराजी नम्बर 178 के सम्बन्ध मे अपीलान्ट का क्या अधिकार बनता है या नही। यह मूलवाद मे निर्णित होगा, परन्तु प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मे पक्षकारो के हितो की रक्षा के लिये मूलवाद के निस्तारण तक मौके व राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति कायम रखाया जाना उचित प्रतीत होता है। फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होना मानते हुए निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है व रेस्पोडेन्टगण की ओर से काउन्टर क्लेम स्वीकार किये जाने का आदेश पारित किया है जो न्यायोचित प्रतीत नही होता है। जिससे अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलान्ट प्रार्थी व रेस्पोडेन्ट विपक्षीगण का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारान को मूलवाद के निस्तारण तक मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बडीसादडी प्रकरण संख्या 17/2020 मय काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारान को मौजा परवती तहसील बडीसादडी के साबिक आ.न. 178 जिसके नवीन आ.न. 300 रकबा 0.4 हैक्टेयर का प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र का निस्तारण होने तक विवादित आराजीयात की मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

चावण्डदान चारण
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़